

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 77/2025

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी -

कुमाराम पुत्र किसना राम जाति
जाट निवासी टेम्बा रोड,
जीएसएस के पास, सेड़वा, जिला
बाड़मेर (मैसर्स श्री देव
आईसक्रीम, टेम्बा रोड, जीएसएस
के पास, सेड़वा, जिला बाड़मेर
का विक्रेता एवं मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) एवं 31(2) सहपठित धारा 51 एवं 58

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पदमाराम जयपाल उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 21.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) तथा 31(2)के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 तथा 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक 25.04.2025 को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान श्री देव आईसक्रीम, टेम्बा रोड, जीएसएस के पास, सेड़वा, जिला बाड़मेर के निरीक्षण के दौरान एक डीप फ्रीज में लगभग 200 नग कुल्फी विक्रय हेतु रखी गयी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 24 नग रेण्डमली कुल्फी वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2858 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ कुल्फी का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ कुल्फी का नमूना अवमानक (Sub-standard) पाये जाने पर अप्रार्थी को जांचिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर



[Handwritten Signature]
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) तथा 31(2) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 तथा 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह पेश किया गया कि वक्त कार्यवाही अभियुक्त के डीप फ्रीज में आईसक्रीम निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री भंडारित थी। वक्त जब्ती जिस जब्तशुदा खाद्य पदार्थ कुल्फी होना बताया गया है जो वास्तव में कच्चा माल निर्माण हेतु फ्रीज में डाला हुआ था, जिसको तैयार होने में समय लगना था एवं कार्यवाही समय फ्रीज में कुल्फी जो कि पानी एवं बर्फ में मिलाकर जमाया गया था, जीम हुई बर्फ व कुल्फी का घनत्व अत्यधिक होता है जिसको उचित तापमान में तैयार कर गुणवतापूर्वक सामग्री का उपयोग कर विक्रय किया जाना था। वक्त कार्यवाही कुल्फी तरल रूप में एवं बर्फ की मात्रा में होने से घनत्व अधिक था एवं जब्त किए गए खाद्य पदार्थ की जांच जब्ती दिनांक 25.04.2025 को लिया जाकर दिनांक 28.04.2025 को लेबोरेटरी जोधपुर में भेजा जाना बताया गया है एवं लेबोरेटरी द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट दिनांक 14.05.2025 को दी गई है। उपरोक्त खाद्य सामग्री उचित तापमान में नहीं रखकर कुछ ही घंटों में एवं दिनों में एवं अप्रैल माह की भीषण ग्रीष्म ऋतु में चंद समय में कुल्फी के समकक्ष खाद्य पदार्थ जल्दी ही गलकर खराब होने की पूरी संभावना रहती है। अतः उक्त प्रकरण खारिज कर अभियुक्त को दोषमुक्त करार देने का आदेश फरमावे।
3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 14.06.2025 में उक्त नमूना अवमानक (Sub-standard) खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अनुसार **Milk fat** मानक स्तर न्यूनतम 10.0% के मुकाबले में 2.61% एवं **Total Solids** मानक स्तर न्यूनतम 36.0% के मुकाबले में 12.87% पाया गया जो कि मानक स्तर का नहीं है। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में पेश किया गया कि वक्त कार्यवाही अभियुक्त के डीप फ्रीज में आईसक्रीम निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री भंडारित थी। वक्त जब्ती जिस जब्तशुदा खाद्य पदार्थ कुल्फी होना बताया गया है जो वास्तव में कच्चा माल निर्माण हेतु फ्रीज में डाला हुआ था, जिसको तैयार होने में समय लगना था एवं कार्यवाही समय फ्रीज में कुल्फी जो



खाद्य निर्माण अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट वाडमेर

कि पानी एवं बर्फ में मिलाकर जमाया गया था, जीम हुई बर्फ व कुल्फी का घनत्व अत्यधिक होता है जिसको उचित तापमान में तैयार कर गुणवतापूर्वक सामग्री का उपयोग कर विक्रय किया जाना था। वक्त कार्यवाही कुल्फी तरल रूप में एवं बर्फ की मात्रा में होने से घनत्व अधिक था एवं जब्त किए गए खाद्य पदार्थ की जांच जब्ती दिनांक 25.04.2025 को लिया जाकर दिनांक 28.04.2025 को लेबोरेटरी जोधपुर में भेजा जाना बताया गया है एवं लेबोरेटरी द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट दिनांक 14.05.2025 को दी गई है। उपरोक्त खाद्य सामग्री उचित तापमान में नहीं रखकर कुछ ही घंटों में एवं दिनों में एवं अप्रैल माह की भीषण ग्रीष्म ऋतु में चंद्र समय में कुल्फी के समकक्ष खाद्य पदार्थ जल्दी ही गलकर खराब होने की पूरी संभावना रहती है। अतः उक्त प्रकरण खारिज कर अभियुक्त को दोषमुक्त करार देने का आदेश फरमावें। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) तथा 31(2) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 तथा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अप्रार्थी पर रूपये 6000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 21.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह झांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट

निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर